राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

निर्णय तिथि– 09.12.2021

प्र0 स0 –02 / 85 / 2019 दर्ज तिथि– 17 / 07 / 2019

...न– गौरीशंकर पुत्र भवरिया उम्र 70 साल जाति माली निवासी गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
– प्रार्थी

बनाम

कुशलाल पुत्र भवरिया उम्र 60 साल जाति माली
भरताराम पुत्र कुशलाल उम्र 40 साल जाति माली
जयराम पुत्र कुशलाल उम्र 35 साल जाति माली
निवासीयान गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

– असल अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)
वादीगण अधिवक्ता – श्री ख्यालीराम गुर्जर ।
असल प्रतिवादी अधिवक्ता – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :– तारीख 24.11.2021

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावो के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र गढबसई तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थीयागण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01 यह है कि बरूये खाता संख्या 52 आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 0.23 है0 , 523 रकबा 0.01 है0 , 524 रकबा 0.31 है0 , 595 रकबा 0.15 है0 , 596 रकबा 0.01 है0 , 597 रकबा 0.12 है0 , 598 रकबा 0.33 है0 , किता 07 कुल रकबा 1.16 है0 तथा खाता संख्या 313 आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में आराजी स्थित चली आती है। उक्त आराजीयात प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी है।

02 यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व , असल अप्रार्थीगण संख्या 01 की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व असल अप्राथी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी आराजी में चला आता है। विवादित आराजी मे प्रार्थी व अप्रार्थी अपने–अपने हिस्सानुसार मौके पर काबिज होकर कार्य काश्त करते आ रहे है । यह विवादित आराजी अविभाजित आराजी है रिकॉर्ड मे विधि तकासमा नही हुआ है । मौके पर आज भी प्राथी विवादित आराजी पर उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है।

03 यह है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण असल की मुताबिक रिकॉर्ड सामलाती काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रत्येक इंच –इंच पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का शामलात में कब्जा काश्त खातेदारी का चला आता है। आराजी खसरा नम्बर 522 व 598 सडक के लगते हुए स्थित है। जिन पर अप्रार्थीगण ने जबरन लठ के बल पर अकेले कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड मे तकासमा नही हुआ है। अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के हिस्से मे आई जमीन पर लठ के बल पर कब्जा करना चाहता है ,प्रार्थी के कार्य काश्त में बाधा डालते है । बिना विधिक तकासमा कराये ही अप्रार्थीगण विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन ,बय मुन्तकिल करना चाहते है व कच्चा–पक्का निर्माण करना चाहते है। कृषि भूमि को अकृषि बनाना चाहते है।शक्ल मौका बदलना चाहते है। जिसका अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है।

04. यह है कि अप्रार्थीगण अज खुद विवादित आराजी के रिकॉर्ड मे विधिक तकासमा नही कराते है। दिनांक 05.07.2019 को असल अप्रार्थीगण मौके पर आये और प्रार्थी के हिस्से कब्जे काश्त मे बाधा डाली व बिना विधिक तकासमा कराये ही अप्रार्थीगण विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन ,बय मुन्तकिल करने व कच्चा पक्का

Scanned by CamScanner

निर्माण करने की धमकी दी है। इसलिए प्रार्थी का अप्रार्थीगण के साथ सामलाती में काश्त करना अब दुभर हो गया । अब प्रार्थी जरिये अदालत मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एंव मुताबिक सीमा मौका कब्जा अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी उत्तर से दक्षिण लम्बाई में बराबर –बराबर सड़क के लगते हुए प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण समान समान हिस्सा तकासमा कराने का अधिकारी है। जिस हेतु प्रार्थना –पत्र पेश है।

05. यह है कि यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त व कार्य काश्त में बाधा डालते है व बिना तकासमा की रहन ,बैय, मुन्तकिल करते है व शक्ल मौका आराजी बदल दिया , रास्ता होकर आने जाने नही दिया तथा कच्चा पक्का निर्माण कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी अन्य हक्को में नही की जा सकेगी, इसलिए प्रार्थी जरिये अदालत असल अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

06. यह है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्ट्या केस और सुविधा व न्याय का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अन्त में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी हाल खाता संख्या 52 आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 0.23 है0 , 523 रकबा 0.01 है0 , 524 रकबा 0.31 है0 , 595 रकबा 0.15 है0 , 596 रकबा 0.01 है0 , 597 रकबा 0.12 है0 , 598 रकबा 0.33 है0 , किता 07 कुल रकबा 1.16 है0 तथा खाता संख्या 313 आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसाई तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी के उपरोक्त हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा ना करे ,ना ही बेदखल करे व प्रार्थीगण के कार्य–काश्त ,उपयोग–उपभोग फसल काटने,बोने, जोतने,लाने–ले जाने , किसी प्रकार से बाधा नही डाले,रास्ता बन्द नही करे तथा असल प्रतिवादी उपरोक्त आराजी को बिना तकसीम कराये दीगर लोगो को रहन,बैय ,मुन्तकिल ना करे एंव कच्चा –पक्का निर्माण कार्य नही करे एवं कृषि योग्य आराजी को अकृषि नही बनावे, शक्ल मौका नही बदले आदि का प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया।

र्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता को एक –पक्षीय सुना गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तिथि तक सुनवाई हेतु की जाकर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया गया । अप्रार्थीगण जरिये नोटिस विधिवत् रूप से तलब होकर जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2021 श किया जाकर निम्न बिन्दुओं में निवेदन किया गया,जो नीचे अंकित हैः–

01. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 है ,जो सही एवं स्वीकार है।

02. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सख्या 02 का यह भाग सही है कि उक्त वर्णित विवारित आराजी में प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण संख्या 01 की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । यह है सही है कि विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 – 1/2 हिस्सा चला आता है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी ने उक्त विवादित आराजी का बाहमी बटवारा लगभग 35 साल पहले की कर लिया था , जिस बाहमी बटवारे मे आराजी खसरा नम्बर 598 रकबा 0.33 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 522 रकबा 0.18 है0 सम्पूर्ण , खसरा नम्बर 518 रकबा 0.23 है0 में से 0.15 है0 पश्चिम साईड की अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में व 0.08 है0 पूर्वी साईड का हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में बट में आया था तथा खसरा नम्बर 524 रकबा 0.31 है0 सम्पूर्ण हिस्सा , खसरा नम्बर 595 रकबा 0.15 है0 सम्पूर्ण हिस्सा , खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण हिस्सा , खसरा नम्बर 597 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण हिस्सा अकेले प्रार्थी के हिस्से बट में आया था तथा खसरा नम्बर 0.23 रकबा 0.01 है0 गैर–-- मुमकिन चाह दोनो भाईयों प्रार्थी तथा असल अप्रार्थी संख्या 01 का सामलात में चला आता है। इसी बटवारे के अनुसार प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्से मुताबिक मौके पर काबिज होकर पिछले 35 साल से काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नही हुआ है। इसलिए विधिवत तकासमा कब्जें अनुसार करने में हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है ।

03. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 03 का यह भाग सही है कि विवादित आराजी प्रार्थी एंव असल अप्रार्थी संख्या 01 की उक्तानुसार सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी कागजात में दर्ज चली आती है। तथा मौके पर बटवारा किया हुआ है और इसी अनुसार काबिज चले आते है, यदि राजस्व रिकॉर्ड में विधिक तकासमा कर दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

04. यह है कि विवादित आराजी कागजात में सामलाती में कब्जें काश्त खातेदारी दर्ज चली आती है परन्तु मौके पर प्रार्थी एवं असल अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त आराजी का बटवारा पिछले 35 सालों के पूर्व से कर रखा है। प्रार्थी

का यह कथन कतई गलत है कि खसरा नम्बर 522 व 598 सडक से लगते होने के कारण अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है बल्कि सही बात तो यह है कि पिछले 35 साल पहले खसरा नम्बर 522 व 598 के लगते हुए कोई सडक बनी हुई नही थी । केवल कच्चा रास्ता था सडक तो अब लगभग 8–10 साल पहले बनी है जब बटवारा हुआ तब प्रार्थी ने खेतों में पशु या जानवरों से कोई नुकसान ना हो इसलिए खसरा नम्बर 524 ,597,595 ,596 एंव 518 का पूर्वी हिस्सा में 0.08 है0 हिस्सा लिया था । जिस आराजी में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी के हिस्से बट मे आया , खसरा नम्बर 522 में से दिया था जो रास्ता आज भी मौजूद है । बटवारे के पश्चात् असल अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से में आई आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरों का डण्डा व तार बाउण्ड्री रास्ते की तरफ बनाया था तथा काफी लागत व जिसमानी मेहनत करके आराजी को काबिल काश्त बनाया था । असल अप्रार्थी संख्या 01 ने बट में आराजी में से खसरा नम्बर 598 में अपनी निजि लागत से बोरिंग लगवाई तथा खसरा नम्बर 522 में एक घर बनाया । इस प्रकार मौके के अनुसार असल अप्रार्थी संख्या 01 हिस्से बट मे आयी आराजी पर काबिज है ,अब सडक बन जाने के कारण प्रार्थी के मन बदल गया , जिस कारण प्रार्थी ने सत्यता को छिपाते हुए यह झूठा दावा किया है । प्रार्थी स्वय झगडालू एंव बेईमान किस्म का व्यक्ति है एव झूठे दावे की आड में खसरा नम्बर 522 व 598 में हिस्सा लेने के लिए यह वाद पेश किया है। जो गलत व खिलाफ कानून व मौका है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 सगे भाई है और अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अप्रार्थी सख्या 01 के पुत्र है। वाद पत्र में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है । ऐसी स्थिति में इनकों बटवारे के दावे मे पक्षकार बनाया जाना कतई गलत है, व आवश्यक पक्षकार नही है।

05 यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 05 गलत है ,स्वीकार नही। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 बाहमी बटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अर्सा करीब 35 साल से काश्त करते आ रहे है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी बेचान करने व प्रार्थी को नाजायज परेशान करने तथा नापूर्ति नुकसान होने हकुक जायल होने व मुकदमा बाजी बढेनें का कोई सवाल ही पैदा नही होता है। प्रार्थी ने सभी तथ्य झूठे दर्ज किये है। यह है कि प्रार्थीगण का ना ही यह प्रथम दृष्ट्या केस और ना ही सुविधा व न्याय का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित है ।

अन्त: मे असल अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि ऐसी स्थिति मे उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नही है एंव प्रार्थना पत्र झूठे व मनढन्त तथ्यों पर पेश किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है एंव प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर मय हर्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

[illegible]त्रावली मूल वाद के साथ प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र [illegible]दिवसई तह0 थानागाजी पर पेश हुई। शिविर स्थल पर पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2071–2074 के [illegible]ाता सख्या 52 व खाता सख्या 313 में वर्णित खसरा नम्बरान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन [illegible]या गया कि प्रार्थी एवं असल अप्रार्थी संख्या 01 जमाबन्दी संवंत 2071–2074 के खाता संख्या 52 व खाता सख्या 313 [illegible] वर्णित खसरा नम्बरान मे समान भाग (1/2 –1/2) हिस्सा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

[illegible]रण तकासमा एव स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रार्थना –पत्र में वर्णित उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एंव असल [illegible]ार्थी संख्या 01 की शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थी का 1/2 व [illegible]ल अप्रार्थी सख्या 01 का 1/2 हिस्सा शामलाती में कब्जे काश्त खातेदारी में चला आता है। विवादित आराजी [illegible]विभाजित है , जिसका विधिक तकासमा नही हुआ है , जो सलंग्न मुताबिक जमाबन्दी से प्रमाणित होता है। जैसा कि [illegible]र्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में अंकित किया है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] अपने– अपने हिस्से अनुसार आज भी मौके पर काबिज काश्तकार खातेदार चले आते है तथा प्रार्थी अपने हिस्से [illegible]सार काबिज रहकर कार्य काश्त उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जबाब प्रार्थना [illegible]के पैरा सख्या 02 में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजी का प्रार्थी एव अप्रार्थी सख्या 01 ने 35 साल पूर्व [illegible]मी बटवारा किया हुआ है। जिस बाहमी बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 598 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.18 है0 सम्पूर्ण , खसरा नम्बर 518 रकबा 0.23 है0 में से 0.15 है0 पश्चिम साईड की अप्रार्थी संख्या 01 के [illegible]ा मे व 0.08 है0 पूर्वी साईड का हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में बट में आया था तथा खसरा नम्बर 524 रकबा 0.31 है0 [illegible]र्ण हिस्सा , खसरा नम्बर 595 रकबा 0.15 है0 सम्पूर्ण हिस्सा , खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण हिस्सा , [illegible]रा नम्बर 597 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण हिस्सा अकेले प्रार्थी के हिस्से बट मे आया था तथा खसरा नम्बर 0.23 रकबा [illegible] है0 गैर– मुमकिन चाह दोनों भाईयों प्रार्थी तथा असल अप्रार्थी संख्या 01 का सामलात में चला आता है। इसी

Scanned by CamScanner

बटवारे के अनुसार प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्से मुताबिक मौके पर काबिज होकर पिछले 35 वर्ष से काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नही हुआ है। इसलिए विधिवत तकासमा कब्जे अनुसार करने में हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है ,होना अवगत कराया गया है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निम्न बिन्दुओं पर किया जाना आवश्यक है:–

01. प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में है या नही :– जैसा कि प्रार्थी एंव असल अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी के संबंध में तथ्य अंकित किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 की शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है , जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा चला आता है एवं मौके पर बाहमी बटवारे के अनुसार अपने– अपने हिस्से पर कार्य काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी अविभाजित है , जिसका रिकॉर्ड में विधिक तकासमा नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भी उक्त विवादित आराजी का रिकॉर्ड में विधिक तकासमा किये जाने हेतु कोई ऐतराज नही है,अवगत कराया गया है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 52 व खाता संख्या 313 में वर्णित खसरा नम्बरान मे सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 01 सगे भाई है । अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ,असल अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र है । उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 का समान हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी (बाई मीट एण्ड बाउण्ड के तहत) विभाजन कराने के अधिकारी हैं । अतः विवादित आराजी मे असल अप्रार्थी का समान हक व अधिकार होने के कारण प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में उचित प्रतीत नही होता हैं ।

02. सुविधा व न्याय का सन्तुलन :– उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 01 अपने – अपने हिस्से अनुसार मौके पर कार्य काश्त कर उपयोग– उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजी मे प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 01 का समान हक व अधिकार है, इसलिए सुविधा व न्याय का सन्तुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में होना उचित प्रतीत नही होता है।

03. नापूर्ति क्षति :– उक्त वर्णित विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पूर्व में किये गये बाहमी बटवारे अनुसार अपने –अपने हिस्से पर कार्य काश्त करते आ रहे है । रिकॉर्ड में विवादित आराजी का विधिक तकासमा नही किया हुआ है । अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे उक्त विवादित आराजी का विधिक तकासमा किये जाने में कोई आपत्ति दर्ज नही की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा ,प्रार्थी की हिस्से कार्य काश्त योग्य आराजी को अकृषि भूमि बनाने तथा बेदखल करने ,शक्ल मौका आराजी बदलने आदि नापूर्ति होने वाली क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नही होता है।

उक्त बिन्दूओं एंव तथ्यों के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं ।

अतः आदेश है कि :–

विवादितअ आराजी हाल खसरा नम्बर 518 रकबा 0.23 है0 , 523 रकबा 0.01 है0 , 524 रकबा 0.31 है0 , 595 रकबा 0.15 है0 , 596 रकबा 0.01 है0 , 597 रकबा 0.12 है0 , 598 रकबा 0.33 है0 , 522 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम गढबसाई तहसील थानागाजी जिला अलवर प्रार्थी को पूर्व में जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खारीज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2021 को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग –2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र गढबसाई तह0 थानागाजी पर मजमेजाम सुनाया गया।

डॉ नवनीत कुमार 1 (आरएएस)
शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गावों के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट गढबसाई

Scanned by CamScanner